यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, प्राचार्या, के.एल.डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, रुड़की, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

यह **कार्यालय, प्राचार्या, के.एल.डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, रुड़की, हरिद्वार** के माह 09/2016 से 10/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विश्व प्रकाश सिंह, श्री प्रहलाद सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री संदीप चौधरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 09.11.2020 से 16.11.2020 तक श्री महेंद्र तिवारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर.के.जोगी एवं श्री मनीष श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 19.09.2016 से 26.09.2016 तक श्री हनुमान सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2014 से 08/2016 तक के अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2016 से 10/2020 तक के अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः यह महविद्यालय हरिद्वार जनपद के रुड़की शहर में स्थित है। संस्थान में रुड़की के अतिरिक्त सीमावर्ती क्षेत्रों से भी शिक्षा हेतु प्रवेश लेते हैं।

(अ) विगत वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य**	**बचत**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2016-17	**--**	**--**	215.54	215.54	**--**	**--**	**--**	**--**
2017-18	--	--	282.40	282.40	--	--	--	--
2018-19	--	--	306.03	306.03	--	--	--	--
2019-20	--	--	373.16	373.16	--	--	--	--
2020-21 (10/20)	--	--	194.57	194.57	--	--	--	--

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत (-)**
2016-17	----------शून्य---------				
2017-18					
2018-19					
2019-20					
2020-21 (10/20)					

इकाई को बजट आवंटन (क्रेन्द एवं राज्य सरकार) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई कार्यालय, प्राचार्या,के.एल.डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड श्रेणी (सी) की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, उच्च शिक्षा

↓

निदेशक, उच्च शिक्षा

↓

अपर निदेशक (गढ़वाल), उच्च शिक्षा

↓

प्राचार्य महविद्यालय

↓

प्राध्यापक गण

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय, प्राचार्या,के.एल.डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, रुड़की, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किए जा रहे है। यह प्रतिवेदन **कार्यालय, प्राचार्या,के.एल.डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, रुड़की, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। विस्तृत जांच हेतु **माह 01/2019, 10/2019 एवं 07/2020** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन व्यय की अधिकता के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई है।

<u>भाग- दो (ब)</u>

प्रस्तर01:- शासनादेश के अनुसार PRAN संख्या आवंटन ना होने के कारण संबंधित कार्मिकों के एनपीएस खाते में जमा हो सकने वाली कुल धनराशि रु. 2.25 लाख एवं अर्जित ब्याज से संबंधित कार्मिकों का विमुख रहना।

शासनादेश संख्या 21/XXVII(7)/सी.पी.एस./2005 दिनांक: अक्टूबर 25, 2005 के अनुसार दिनांक 01.10.2005 को या बाद में राज्य सरकार के अधीन नव नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी नयी पेंशन योजना के अंतर्गत आच्छादित होंगे। योजना के अनुसार प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति के अगले माह से मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत संबन्धित के वेतन से काटा जाएगा एवं बराबर अंशदान नियोक्ता द्वारा संबन्धित के खाते में जमा कराई जाएगी।

तत्पश्चात शासनादेश संख्या 169/42/XXVII(10)/2016/2019 दिनांक: 12 जून,2019 के अनुसार अप्रैल,2019 से नयी पेंशन योजना में आच्छादित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से 10 प्रतिशत अंशदान के सापेक्ष नियोक्ता द्वारा 14 प्रतिशत अंशदान संबन्धित के खाते में जमा कराया जाएगा।

कार्यालय के द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेखों की जांच में पाया गया कि नयी पेंशन योजना में आच्छादित दो कर्मचारियों (श्री आयुष ग्रोवर, लिपिक एवं श्रीमती रश्मि तायल, पुस्तकालय लिपिक) को लेखापरीक्षा तक PRAN आवंटन नहीं हुआ था, जिस कारण उनके वेतन से 10 प्रतिशत अभिदान की कटौती नहीं हो पा रही थी। अत: उक्त शासनादेश अनुसार नियोक्ता द्वारा भी PRAN संख्या का आवंटन ना होने के कारण अप्रैल 2019 से पूर्व 10 प्रतिशत एवं अप्रैल 2019 के पश्चात से 14 प्रतिशत अंशदान संबंधितों के खाते में जमा नहीं किया जा रहा था। जिसके फलस्वरूप PRAN संख्या के आवंटन के अभाव में संबंधितों के एनपीएस खाते में जमा हो सकने वाले नियोक्ता के अंशदान कुल रु० 127652/- का लाभ नहीं मिल सका। इसके साथ-साथ उक्त शासनादेश के अनुसार उनके खाते में स्वयं का रु० 97385/- का अंशदान भी जमा नहीं हो सका। अत: उक्त कर्मचारियों को उनके एनपीएस खाते में कुल रु० 225037/- की धनराशि एवं उसपर मिलने वाले ब्याज से विमुख रहना पड़ा। (विवरण संलग्न)

इकाई से इस संबंध में पूछे जाने पर कहा गया कि PRAN आवंटन हेतु पत्रजात प्रेषित किए गए हैं, PRAN आवंटन के पश्चात एनपीएस अभिदान की कटौती प्रारम्भ की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि उक्त कर्मचारियों की नियुक्ति क्रमश: 18.02.2020 एवं 30.06.2018 थी। अत: इतने विलंब के पश्चात भी PRAN का आवंटन नहीं किया जाना इकाई की इस संबंध में उदासीनता का द्योतक है।

अत: शासनादेश के अनुसार PRAN संख्या आवंटन ना होने के कारण संबंधित कार्मिकों के एनपीएस खाते में जमा हो सकने वाली कुल धनराशि रु. 2.25 लाख एवं अर्जित ब्याज से संबंधित कार्मिकों का विमुख रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01: महविद्यालय द्वारा 'सामान्य विकास सहायता' के भाग के रूप में यूजीसी से प्राप्त अनुदान को यूजीसी के दिशानिर्देशों के विपरीत व्यय किया जाना ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) केन्द्रीय सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालय को मान्यता देने के अलावा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता है । किसी भी संस्था में शिक्षा की गुणवत्ता काफी हद तक मूलभूत एवं बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है। महाविद्यालयों के लिए समिति संसाधनों से इन सुविधाओं का सृजन करना कठिन होता है। अत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बुनियादी सुविधाओं के समेकन एवं विस्तार हेतु 'सामान्य विकास सहायता' के भाग के रूप में प्रत्येक योजना अवधि में महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता दी जाती है ।

प्राचार्य, के०एल०डी०ए०वी० (पी०जी०) कॉलेज रुड़की, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा महाविद्यालय को दिनांक 30.06.2015 को 'सामान्य विकास सहायता' के रूप में रु 6,80,000/- कि धनराशि अनुमोदित की गयी थी। यूजीसी के पत्रांक सं०- F16/2012 (Policy/NRCB) दिनांक 30.06.2015 के बिन्दु संख्या-01 के अनुसार स्वीकृत धनराशि सिर्फ वित्त वर्ष 2015-16 तक भुगतान (उपभोग) करने हेतु वैध थी। यूजीसी के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, महविद्यालय द्वारा उपरोक्त धनराशि को वित्तवर्ष 2016-17 में व्यय किया गया जो अनियमित था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वत: स्वीकार करते हुए कहा गया कि भविष्य में ध्यान रखा जायेगा ।

अत: महविद्यालय द्वारा 'सामान्य विकास सहायता' के भाग के रुप में यूजीसी से प्राप्त अनुदान को यूजीसी के दिशानिर्देशों के विपरीत व्यय किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-III

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग दो-"अ"प्रस्तर संख्या	भाग- दो "ब" प्रस्तर संख्या	पू0 न0 ले0 टिप्पणी
76/2016-17	----	01,02	

(ब) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेषण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उच्चाधिकारी की संस्तुति के अभाव में उक्त प्रस्तर यथावत।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------- --- ---------- शून्य ----------

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, प्राचार्या,के.एल.डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, रुड़की, हरिद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

अप्रस्तुत अभिलेख: ---शून्य---

सतत् अनियमितताएः --शून्य --

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया है।

क्रं.सं.	**नाम**	**पद नाम**	**कार्यकाल अवधि**
1.	डॉ. श्रीमती यशोदा मित्तल	प्राचार्या	16.12.2010 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, प्राचार्या,के.एल.डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, रुड़की, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार/ (ए.एम.जी.-I) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) "महालेखाकार भवन" दिवतीय तल एल-218 कौलागढ, उत्तराखण्ड, देहरादून-248195** को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / ए.एम.जी.-I